

**ग्राम पंचायत हारवोह, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग—एक**

1 (क) प्रस्तावना:—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हारवोह, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती जीवना देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती तृप्ला देवी	23.01.16 से 31.03.16

सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री चरण सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत हारवोह के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	खाता—(ख) में अर्जित ब्याज को खाता—(क) में अन्तरित न किया जाना	0.25
2	10	अनुदान का उपयोग न करना	4.96
3	11	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	7.89
4	12	सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन बारे	14.44

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत हारवोह, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.16 से 6.12.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 4/13, 8/14 व 12/15 तथा 10/13, 9/14 व 7/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत हारवोह, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 199 (A) दिनांक 6.12.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत हारवोह से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत हारवोह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(1) स्वः स्रोत:- ग्राम पंचायत हारवोह के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	230834	451644	682478	173520	508958
2014-15	508958	470498	979456	450418	529038
2015-16	529038	215902	744940	402954	341986

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत हारवोह के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	237058	3988863	4225921	4038245.70	187675.30
2014-15	187675.30	3449129	3636804.30	3586611.15	50193.15
2015-16	50193.15	1582678	1632871.15	1137357.15	495514.00
दिनांक 31.3.16 को स्व:स्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)					₹837500

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रमांक	निधि का नाम	बैंक खाता सं०	राशि
1	मनरेगा	1998000102129152 PNB Darimi	0
2	IAY	50055747773 KCCB Rait	2063
3	S.F.+3 rd state	20040016707 KCCB Rait	341986
4	MP LAD	1998000102129143 PNB Darini	0
5	SDP LADA	50056040037 KCC Rait	2738
6	TSC	50055747751 KCCB Rait	7765
7	13 Fin	50055747784 KCC Rait	459126
8	IWMP	1998000102128214 PNB Darini	23822
कुल			₹837500

(1) अन्तशेष का विवरण:-

(क)	दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹837500
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	₹837500

5 ₹60 कम जमा करवाने बारे:-

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि राजस्व के रूप में रसीद संख्या 132634 से 132700 तक कुल ₹3960 की प्राप्ति हुई लेकिन रोकड़ बही में मात्र ₹3900 की प्राप्ति दर्ज की गई। अतः ₹60 की कम दर्ज राशि को उचित स्रोत से वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्रोत माने जाएंगे और स्वः स्रोत हेतु पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम-3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 खाता "ख" में अर्जित ₹0.25 लाख के ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु ब्याज की राशि को अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में भी नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	वर्ष			कुल ब्याज (₹)
	2013-14	2014-15	2015-16	
1998000102129152	10616	—	—	10616
50055747773	419	934	1210	2563
50056040037	1526	1150	107	2783
1998000102129143	373	7	—	380

50055747751	—	363	302	665
50057477784	—	1520	1508	3028
1998000102128214	2856	1364	1077	5297
जोड़	15790	5338	4204	25332

8 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारे:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे:—

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अनुदान ₹4.96 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹495514 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से

अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹7.89 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹788938 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹14.44 लाख के कार्य निष्पादन बारे:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹14.44 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः नियमों के विरुद्ध निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में प्रत्येक कार्य का निष्पादन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

13 नियमों के विरुद्ध आठ बैंक खातों का खोला जाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार आठ बैंक बचत खाते खोले गए। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन छः अतिरिक्त बैंक खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

14 सभा निधि से ₹1371 के अनुचित भुगतान बारे:—

वाऊचर संख्या 51 दिनांक 7.12.15 के अन्तर्गत सभा निधि से श्री कुलदीप कुमार को ₹1371 का भुगतान चैक नं0 954601 के माध्यम से किया गया था अंकेक्षण द्वारा अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित भुगतान का बिल खाली (Blank) है। खाली बिल का भुगतान अनियमित व अनुचित है। अतः कोरे बिल के भुगतान के कारण स्पष्ट किए जाएं अन्यथा अनुचित भुगतान की राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाए व कृत कार्यवाही आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

15 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यो का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

16 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 17 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।
18 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में उचित सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 73 / 2017—खण्ड—1—2152—2155 दिनांक: 12.04.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत हारवोह, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

(परिशिष्ट-2)

ग्राम पंचायत हारवोह विकास खण्ड रेत (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(पैरा-10 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0स0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि	13/13.8.13	श्री गगन सिंह द्वारा रेत बजरी की सप्लाई का भुगतान	34000
2	सभा निधि	32/5.10.13	मैसर्ज वशिष्ठ कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड थंका की खेल के मैदान को लैवलिंग का भुगतान	100000
3	सभा निधि	5/19.4.14	-यथोपरि-	100440
4	सभा निधि	35/21.10.13	श्री ओम चन्द को रेत बजरी आदि की सप्लाई का भुगतान	21090
5	सभा निधि	40/7.11.13	-यथोपरि-	20000
6	सभा निधि	44/27.11.13	श्री गगन सिंह द्वारा रेत बजरी पत्थर आदि की सप्लाई का भुगतान	33650
7	सभा निधि	45/23.12.13	श्री ओम चन्द द्वारा रेत, सप्लाई का भुगतान	36068
8	सभा निधि	9/27.5.14	श्री गगन सिंह द्वारा ईन्टों की सप्लाई का भुगतान	72000
9	सभा निधि	20/2.7.14	मै0 शर्मा उत्तम चन्द अनूप नाग द्वारा सरिया आदि की सप्लाई का भुगतान	81408
10	मनरेगा	51/12.8.14	श्री ओम चन्द द्वारा रेत, बजरी शटरिंग आदि की सप्लाई का भुगतान	38846
11	मनरेगा	83/9.9.14	-यथोपरि-	41383
12	मनरेगा	86/10.9.14	श्री सोनू राम द्वारा रेत, बजरी शटरिंग आदि की सप्लाई का भुगतान	96460
13	मनरेगा	104/1.10.13	श्री ओम चन्द द्वारा रेत, बजरी आदि की सप्लाई का भुगतान	71839
14	मनरेगा	114/10.10.13	-यथोपरि-	41754
				कुल ₹788938

(परिशिष्ट-3)

ग्राम पंचायत हारवोह विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

(पैरा-11 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	राशि
1	LADA सभा निधि	खेल के मैदान की लैवलिंग	294000
2	सभा निधि	निर्माण समुदायक भवन लाभ	500000
3	मनरेगा	निर्माण कुहल द्राका से दालती के घर तक	500000
4	सभा निधि	मुरम्मत पंचायत भवन बोह	150000
		कुल	₹1444000